मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2014 (26 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 112 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मन्दसौर जिले के विद्युत कार्य में अनियमितता होने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर की सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को खाद, बीज न दिये जाने,

(3) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा जिले के तिवनी में पेयजल व्यवस्था की जाने,

(4) श्री मधु भगत,सदस्य की ग्राम पंचायत हर्राभार के विकासखण्ड परसवाड़ा के सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में हेराफेरी की जाने,

(5) श्री हर्ष सिंह, सदस्य की सागर जिले के ग्राम भर्रइ के एक व्यक्ति की महाराजपुर में इलाज न होने से मौत होने,

(6) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य की इंदौर जिले की बहुमंजिला इमारतों में आग से बचने के पुख्ता इंतजाम न होने,

(7) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाने,

(8) श्री कैलाश चावला, सदस्य की नीमच जिले में ए.पी.एल. तथा बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स को राशन व मिट्टी का तेल न मिलने,

(9) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जबलपुर जिले के पाटन क्षेत्र में बिजली कटौती की जाने तथा

(10) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की उज्जैन जिले में गुर्जर समाज के मंदिर की भूमि रोड मार्किंग में आने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक पर उनकी पत्नी द्वारा गंभीर आरोप लगाये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

3. सदन को सूचना

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन द्वारा सदन को सूचना दी गई कि – "श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सेल्फ-अटैस्टेशन का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, केन्द्र सरकार ने भी उसको पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है."

4. ध्यानाकर्षण

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में जंगली सुअरों द्वारा मक्के की फसल नष्ट किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने भी इस संबंध में जानकारी दी.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मुरैना नगर पालिका प्रशासन द्वारा ग्राम छौंदा में अधिगृहीत भूमि के आवंटन में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-13)	श्री विश्वास सारंग	40 मिनट
2.	(क्रमांक-16)	श्री दुर्गालाल विजय	40 मिनट
3.	(क्रमांक-18)	डॉ. गोविन्द सिंह	40 मिनट
4.	(क्रमांक-26)	श्री रामेश्वर शर्मा	15 मिनट
5.	(क्रमांक-27)	श्री मानवेन्द्र सिंह	15 मिनट

श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि – "यह सदन दिनांक 8 जुलाई, 2014 को पटल पर रखे गए तेरहवीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे."

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-229 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि यह सदन 8 जुलाई, 2014 को पटल पर रखे गए तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार करे तथा उसे स्वीकार करे."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री केदारनाथ शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि - "यह सदन दिनांक 8 जुलाई, 2014 को पटल पर रखे गए तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है तथा अध्यक्ष महोदय को समिति के प्रतिवेदन में सम्मलित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत करता है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि प्रकरण में श्री सिद्धार्थ गुप्ता, एडव्होकेट एवं अध्यक्ष निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल को सदन में बुलाकर भर्त्सना करना है. इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही वे बाद में करेंगे.

7. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

14. श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 12	ऊर्जा के लिए छ: हजार सात सौ चौंसठ करोड़, इक्यानवे लाख, अस्सी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए सैंतीस करोड़, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसम्पर्क के लिए दो सौ तैंतीस करोड़, बीस लाख, पैंतालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए चौसठ करोड़, इक्यासी लाख, चौहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) श्री रामेश्वर शर्मा
(5) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(6) श्री उमंग सिंघार
(7) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(8) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(9) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(10) कुंवर विक्रम सिंह

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(11) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(12) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(13) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(16) श्री गिरीश भण्डारी
(17) श्रीमती प्रमिला सिंह

(18) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(19) श्री इंदर सिंह परमार
(20) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट)
(21) श्री सचिन यादव
(22) श्री दिनेश राय ‘मुनमुन’
(23) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(24) श्री वैल सिंह भूरिया
(25) श्री कमल मर्सकोले
(26) श्रीमती शकुन्तला खटीक
(27) श्री प्रदीप अग्रवाल
(28) श्री मधु भगत
(29) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(30) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)
(31) श्रीमती ऊषा चौधरी
(32) श्रीमती सरस्वती सिंह
(33) श्री भारत सिंह कुशवाह
(34) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अध्यक्षीय घोषणा
विधायक क्लब के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – “आज दिनांक 17 जुलाई, 2014 को सायंकाल 7.00 बजे से विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में विधायक क्लब के तत्वावधान में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिसमें श्री देवेन्द्र दुबे, श्रीमती अनुपमा दुबे एवं सुश्री नवामी सोनकिया द्वारा गीतों की प्रस्तुति की जायेगी. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सह परिवार पधार कर प्रस्तुति भी दें एवं कार्यक्रम के बाद श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी सम्मिलित हों”.

9. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

15. श्री अन्तर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए एक सौ छियालीस करोड़, दस लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए अड़सठ करोड़, बीस लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सात सौ इकसठ करोड़, उनतीस लाख, छ: हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(2) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(3) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल
(5) श्री वैल सिंह भूरिया

श्री अन्तर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार दो सौ पैंसठ करोड़, चार लाख, अठहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए अड़सठ करोड़, अड़तीस लाख, तैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 35	पुनर्वास के लिए बहत्तर लाख, सात हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए तीन हजार पाँच सौ उनहत्तर करोड़, चौवन लाख, निन्यानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(चर्चा जारी)

अपरान्ह 6.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 (27 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 17 जुलाई, 2014